राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांकः एफ 1(1) आ.प्र.एवं सहा/सलाहकार/2023/23-55 जयपुर, दिनांक 02/01/2024

प्रति,

1. प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, जनसपंर्क विभाग, ऊर्जा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, पशु–पालन विभाग, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
3. महानिदेशक, होमगार्डस, राजस्थान।
4. निदेशक, मौसम विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

विषय – जन समुदाय को शीत लहर (शीतघात) के प्रकोप से बचाव हेतु एडवायजरी।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसमी दृष्टिकोण के अनुसार आगामी शीतकालीन मौसम (जनवरी एवं फरवरी 2024) तक प्रदेश सहित समस्त देश के अधिकाशं भागों में सामान्य से न्यूनतम तापमान की संभावना है। अतः राज्य के समस्त जिला प्राधिकरण तथा समस्त विभागों द्वारा राज्य में सभावित शीतलहर (शीतघात) के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए इससें होने वाली क्षति को कम करने हेतु विभागीय एवं जिला स्तर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जायें। इस संदर्भ में निम्नाकिंत सुझाव दिये जाते है–

जिला आपदा प्रंबधन प्राधिकरण, समस्त जिले –

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण के संशोधित दिशा–निर्देशों अनुसार स्थानीय जिला शीत लहर कार्य योजना तैयार की जावे।
2. प्रत्येक स्तर (जिला, तहसील, ब्लॉक, विभाग आदि) पर शीत लहर प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी को नांमाकित किया जावे।
3. भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा जारी शीत लहर चेतावनी को जिला कमांड और नियंत्रण केद्रं के माध्यम से जन सामान्य तथा संबधित विभागों तक पहुंचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जावें ।
4. स्थानीय स्तर पर शीतलहर से बचाव से संबधित जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जावें।
5. शीत लहर संबधित बिमारियों एवं खतरों से जन सामान्य के बचाव हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो के संबधं में नियमित प्रेस कॉन्फ्रेश का आयोजन किया जावें।

6. शीत लहर से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों से संबन्धित सुझाव का प्रचार प्रसार होर्डिंग तथा प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क, एफएम, सामुदायिक रेडियो से किए जाने की व्यवस्था की जावे।

मौसम विज्ञान केंद्र–

1. भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा जारी की जाने वाली शीत लहर चेतावनी, शीत लहर की अवधि, न्यूनतम तापमान स्थानवार मौसमी रिपोर्ट आदि को संबन्धित विभागों तथा जिलों तक भेजने की व्यवस्था की जावे ।

नगरीय विकास विभाग–

1. चिकित्सा सुविधाओं, बिजली, भोजन, जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं के साथ आश्रय/रेन बसेरा का संचालन सुनिश्चित की जावे ।
2. बेघर/प्रभावित लोगों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित की जावे।
3. इन चिन्हित स्थलों पर शीत लहर से बचाव के प्राथमिक उपचार हेतु फ्र्सट ऐड बॉक्स रख कर आपात स्थिति में इसके उपयोग से संबन्धित आवश्यक निर्देश लिखे जाएँ। स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों से विचार विमर्श कर आवश्यकतानुसार इन स्थलों पर वॉलंटियर की तैनाती भी की जा सकती है, जो आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हो।
4. इन चिन्हित स्थलों पर "शीत लहर से बचाव " से संबन्धित जन सामान्य हेतु आवश्यक निर्देश सुझाव के बैनर लगाए जाऐ।
5. बेसहारा एवं बेघर व्यक्ति सड़क/मैदान में पाए जाने पर अलाव की व्यवस्था की जावे। स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कम्बलों की व्यवस्था कर उन्हें प्रदाय किए जावें ।

स्कूल शिक्षा विभाग–

1. स्कूल तथा शैक्षणिक संस्थाओं का कार्य समय, भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा शीत लहर से संबन्धित दी गई चेतावनी अनुसार आवश्यकतानुसार एवं विधिवत स्कूल खुलने के समय में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक आदेश जारी किए जावें।
2. शैक्षणिक संस्थाओं के क्लास रूम को गरम रखने की यथोचित व्यवस्था की जावे ।
3. शीत लहर से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा विद्यालय में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
4. अस्पतालों/आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले संस्थाओं/विभागों का संपर्क नम्बर का विवरण विद्यालय में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
5. गंभीर रूप से शीत लहर से प्रभावित होने वाले विद्यार्थियों को अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन तथा विद्यालय के जिम्मेदार शिक्षक का नामांकन/चिन्हांकन किया जावे।

6. शैक्षणिक संस्थाओं में आवश्यकतानुसार शीत लहर से बचाव'' से संबन्धित विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश/सुझाव के बैनर लगाए जावें।
7. शीत लहर (शीतघात) प्रबंधन के सम्बन्ध में शिक्षकगण विद्यार्थियों को कक्षाओं में अवगत करावें।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–

1. जिले में स्थित सभी शासकीय अस्पतालों में शीत लहर प्रभावितों के उपचार हेतु विशिष्ट कार्य योजना बनाई जावे।
2. सभी स्वास्थ्य पेशेवरों कर्मचारियों को प्रारंभिक चेतावनी संबंधी जानकारी प्रसारित की जावे।
3. शीत लहर से बचाव हेतु जनसामान्य द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय से संबन्धित सुझाव, जिले के सभी अस्पतालों के बाहर प्रदर्शित किये जायें।
4. शीत लहर ग्रसित रोगियों की चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाइयाँ, भंडार आदि की उपलब्धता सभी शासकीय चिकित्सालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो होल्डर आशा कार्यकर्ता के पास सुनिश्चित की जावे। विशेषकर शीत लहर से उपचार हेतु दवाइयों का पर्याप्त भंडारण रखने के निर्देश दिए जावें।
5. शीत लहर ग्रसित रोगियों के चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय तथा सिविल चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार अलग चिकित्सा वार्ड की व्यवस्था की जावे।
6. कमजोर समूह– बच्चों, दिव्यंगों, महिलाओं और वृद्धों की विशेष देखभाल हेतु व्यवस्था की जावे।
7. शीत लहर (शीतघात) से सम्बंधित मामलों और मौतों की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जावे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

1. पंचायत भवनों में शीत लहर से बचाव के उपायों से संबन्धित प्रचार प्रसार किया जावे। शीत लहर से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा पंचायत भवन में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे ।
2. श्रमिकों को शीत लहर से बचाव सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध किया जावे।

श्रम विभाग

1. औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रो के कामगारों को शीत लहर से बचाव सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जावे।
2. उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों का कार्य समय आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार परिवर्तन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जावें ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

1. सड़क किनारे बेघर/प्रभावित लोगों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जावे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

1. वैसे स्थलों को चिन्हित किया जाये जहाँ भिक्षुक अथवा शारीरिक रूप से कमजोर एवं निःशक्तजन अधिक संख्या में रहते हों तथा उन जगहों पर आश्रय/रेन बसेरा की व्यवस्था की जावे। ऐसे लोगों के शीत लहर (शीतघात) से प्रभावित होने की स्थिति में इन्हें तत्काल चिकित्सालय पहुँचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जावे।

पर्यटन विभाग

1. प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आईएमडी द्वारा जारी शीत लहर (शीतघात) चेतावनी को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जावे।

परिवहन विभाग

1. बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड आदि सार्वजनिक वाहन स्थलों पर आवश्यकतानुसार फ्र्सट ऐड बॉक्स की व्यवस्था, शीत लहर (शीतघात) प्रभावितों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।।
2. जिला प्रशासन से विचार विमर्श उपरांत न्यूनतम तापमान/शीत लहर (शीतघात)/घने कोहरे की स्थिति के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समय को परिवर्तित करने हेतु विचार किया जावे।।

पशु–पालन विभाग

1. शीत लहरों के दौरान जानवरों और पशुधन को जीविका के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। तापमान में अत्यधिक भिन्नता भैंसों मवेशियों के प्रजनन दर को प्रभावित कर सकती है।

करने योग्य उपाय

1. ठंडी हवाओं के सीधे संपर्क से बचने के लिए रात के दौरान सभी पशु आवास को सभी दिशाओं से ढकें।
2. ठंड के दिनों में छोटे पशुओं को ढक कर रखें।
3. पशुधन के आहार एवं खान–पान में वृद्धि करें।
4. उच्च गुणवत्ता वाले चारा या चारागाहों का उपयोग करें।
5. वसा की खुराक प्रदान करें, आहार सेवन तथा उनके चबाने के व्यवहार का ध्यान रखें।
6. जलवायु अनुरूप शेड का निर्माण करें जो सर्दियों के दौरान अधिकतम सूरज की रोशनी और गर्मियों के दौरान कम विकिरण की अनुमति देते हैं।
7. सर्दियों के दौरान जानवरों के बैठने हेतु सूखे भूसे रखें।
8. पालतू जानवरों, पशुधन को शीत लहर से बचाने हेतु भवन के अंदर रखें तथा उन्हें कम्बल से ढकें।

राजस्थान पुलिस

1. घने कोहरे की स्थिति के दौरान यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जावे।
2. घने कोहरे के दौरान अग्रिम सुरक्षा उपाय लागू किए जावें ।

3. आश्रय स्थल/रैन बसेरा में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।

आपदा प्रबंधन संस्थान

1. वार्षिक ट्रेनिंग कैलेण्डर में शीत लहर (शीतघात) के प्रबंधन से सम्बंधित प्रशिक्षण कार्यकम रखे जाए।
2. शीत लहर से बचाव हेतु जनजागृति कार्यक्रमों के आयोजन में सम्बंधित विभागों को सहयोग प्रदान किया जावे।

एस.डी.ई.आर.एफ/ होमगार्ड्स

1. विभाग द्वारा आयोजित जनजागृति एवं प्रशिक्षण कार्यकमों में शीत लहर (शीतघात) के दौरान आवश्यक सावधानी एवं बचाव से सम्बंधित जानकारी दी जाए।

कृषि विभाग

शीत लहर और ठंड, कोशिकाओं को भौतिक नुकसान पहुचाती हैं जिससे कीट का आक्रमण तथा रोग होने से फसल बर्बाद हो सकती है। फसल के अंकुरण तथा प्रजनन के दौरान शीत लहर से काफी भौतिक विघटन होता है इसके बढ़ने से फसलों के अंकुरण, वृद्धि, पुष्पण तथा पैदावार पर असर पडता है।

करने योग्य उपाय

1. शीत लहर के दौरान प्रकाश और लगातार सतह सिंचाई प्रदान करें। पानी की सिंचाई से उत्पन्न विशिष्ट गर्मी पौधों को शीत घात से बचाता है।
2. स्प्रिंकलर सिंचाई से पौधों मे शीत घात को कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि पानी की बूंदों का संघनन, आसपास में गर्मी छोड़ता है।
3. पौधो के मुख्य तने के पास मिट्टी को काली या चमकीली प्लास्टिक शीट के साथ ढकें। यह विकिरण अवशोषित कर मिट्टी को ठंडी मे भी गर्म बनाए रखता है। प्लास्टिक उपलब्ध न होने की दशा में घास–फूस, सरकंडे की घास या जैविक वस्तुओं से मिट्टी को ढंककर फसलों को शीत घात से बचाया जा सकता है।
4. बगीचे में धुआँ करके भी फसलों को शीत–घात से बचाया जा सकता है।
5. विभागीय जनजागृति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कृषकों को शीत लहर (शीतघात) से बचाव सम्बंधित जानकारी दी जाए।

जनसंपर्क विभाग

1. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा की जावे।

ऊर्जा विभाग

1. बिजली संयंत्रों में सभी रख रखाव गतिविधियों को समयानुसार पूरा करना ताकि शीत लहर (शीतघात) के दौरान पॉवर कट की स्थिति निर्मित नहीं हो।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1. राज्य में शीत लहर की स्थिति की निगरानी हेतु Dash board/Interface तैयार कर शीत लहर सम्बन्धी इनसा चेतावनी भेजने की व्यवस्था की जावे।

(पी.सी.किशन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अपर सचिव, एनडीएमए, नई दिल्ली।
4. वेबसाईट पर अपलोड हेतु सूचनार्थ ।

शासन सचिव